

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर टिब्बी
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत /कैम्प कोर्ट खिनानियां)

1. देवीलाल पुत्र इन्द्राज जाति जाट निवासी खिनानियां तहसील टिब्बी।
2. औमप्रकाश पुत्र इन्द्राज जाति जाट निवासी खिनानियां तहसील टिब्बी।
3. कृष्णकुमार पुत्र इन्द्राज जाति जाट निवासी खिनानियां तहसील टिब्बी।

-वादीगण

बनाम

1. चनकौर पुत्री इन्द्राज पत्नी लीलूराम जाति जाट निवासी जसाना तहसील टिब्बी।

-प्रतिवादीया

मुकदमा नम्बर:-322/2018

अन्तर्गत धारा:-88 आरटीए

निर्णय दिनांक:-29.6.2018

वादी की ओर से श्री सुभाष चन्द्र गर्ग एडवोकेट व प्रतिवादीगण की ओर से श्री महावीर प्रसाद वर्मा एडवोकेट की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 29.6.2018 को उम्मेदसिंह रतनू उपखण्ड अधिकारी, टिब्बी के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि:-प्रतिवादीया चनकौर के नाम से चक नं. 18 केएनएन खाता संख्या 30/24 में कुल 2.530 है. में 1/9 हिस्सा दर 1/6 हिस्सा खाता संख्या 37/31 में कुल 3.289 है. में 1/9 हिस्सा दर 1/6 व इसी चक के खाता संख्या 21/15 में कुल 15.229 है. में 0.282 हिस्सा का वादीगण को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व प्रतिवादीया संख्या 1 का उक्त खातों में से नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है। मुताबिक राजीनामा वादीगण के नाम से राजस्व अभिलेख में अंकन किय जाने के आदेश दिये जाते है। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे। बैंक ऋण होने की स्थिति में बैंक से अनापति प्रमाण-पत्र प्राप्त होने पर राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे।

यह आज तारीख 29.6.2018 को राजस्व लोक अदालत अभियान ग्राम पंचायत खिनानियां में मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, टिब्बी



वाद के खर्चे		प्रतिवादी	
वादी	रुपया		रुपया
1. वादपत्र के लिए स्टाम्प	1000/-	शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	0
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	0	अर्जी के लिए स्टाम्प	0
3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प	0	प्लीडर की फीस	0
4.रुपये पर प्लीडर की फीस	0	साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	0
5 साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	0	आदेशिका की तामील	0
6 कमिश्नर की फीस	0	कमिश्नर की फीस	0
7 आदेशिका की तामील	0		0
जोड़	1000/-	जोड़	0